विदेशों के साथ प्रत्यर्पण-संधि

*212. **श्री अजीत जोगी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण-संधि अथवा समझौते के संबंध में वार्ता अंतिम चरण में चल रही है;

(ख) किन-किन देशों के पास घोषित अपराधियों अथवा भगोड़ों या पूछताछ के लिए वांछित व्यक्तियों की नजरबंदी और उनके प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध लम्बित पड़े हैं;

(ग) ऐसे अनुरोधों, इसमें शामिल व्यक्तियों के नाम, उनके विरूद्ध कथित आरोपों और संबंधित देश की सरकार से अनुरोध किए जाने की तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (घ) संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, हांगकांग तथा अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधि पर चल रही बातचीत अंतिम दौर में है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में प्रार्थित लम्बित प्रत्यर्पण अनुरोधों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए), प्रत्येक अनुरोध पर कार्रवाई की स्थिति संबं व्यक्तियों के नाम, अनुरोध की तारीख तथा आरोपों का ब्यौरा भी इसी अनुबंध में दिया गया है। सरकार विदेशी सरकारों से किये गये प्रत्यर्पण के सभी अनुरोधों पर राजनयिक माध्यमों के जरिये सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा प्रार्थित प्रत्यर्पण से सम्बन्धित लम्बित मामलों की सूची

संख्या	अभियुक्त का नाम	देश जिससे प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है (दिनांक सहित)	मामले पर कार्यवाही की स्थिति
1.	आर.एस. गिल तथा सुखविन्दर सिंह अपराध-जनरल वैद्य तथा श्री ललित माकन की हत्या	संयुक्त राज्य अमरीका 1987	यह मामला संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालय में विचाराधीन है
2.	कुलवीर सिंह अपराध-हत्या	संयुक्त राज्य अमरीका नवम्बर, 1994	अनुरोध संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों के पास लम्बित है।
3.	दया सिंह लहोरिया तथा उनकी पत्नी कंवलजीत कौर उर्फ सुमन सूद अपराध-हत्या, अपहरण आपराधिक षडयंत्र	संयुक्त राज्य अमरीका सितम्बर, 95	जांच मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया था कि लहोरिया तथा सूद के समर्पण के लिए भारत गणराज्य की सरकार के उचित प्राधिकारियों की मांग पर एक वारंट जारी किया जाए।
4.	अमीर भाई उर्फ के.एस.एम. अम्मरूद्दीन उर्फ के.एस.एम. मौह. अम्मरूद्दीन उर्फ आरिफ भाई अपराध अपराधिक षडयंत्र तथा रिश्वतखोरी	हांगकांग जनवरी, 96	हांगकांग प्राधिकारियों से उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	दाऊद इब्राहीम तथा अन्य-अपराध बम्बई बम विस्फोट का षडयंत्र	संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान अप्रैल, 94	पाकिस्तान की सरकार ने अपने उत्तर में यह कहा था कि अभियुक्त पाकिस्तान में नहीं है। अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात सरकार के पास लम्बित है।
6.	वी. प्रभाकरण तथा पोटू ओमान उर्फ शिवशंकर अपराध-भारत के भूतपूर्वप्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करने का आपराधिक षडयंत्र	श्रीलंका जून, 1996	श्रीलंका के प्राधिकारियों के पास विचाराधीन।